

चंडीगढ़, 21 अक्टूबर (बीजेपी) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच बीजेपी : नआई : की कयाचकि पर समझौता वस्फोट मामले के आरोपी असीमानंद के नोटिस जारी किया है। नआई की कवशेष अदालत ने 17 अगस्त के दिने अपने आदेश में कहा था कि समझौता वस्फोट स्थल से मलिे नमूनों के अजमेर, हैदराबाद और मालेगांव वस्फोट स्थल से मलिे नमूनों से मलिाया जा। इस पैसले के खलिाफ असीमानंद ने यह कहते हुे अदालत में याचकि दायर की थी कि नमूने मलिाने के नाम पर नआई उसे अपने शकिंजे में लेना चाहती है। अदालत ने विशेष अदालत के पैसले के कयम रखते हुे आदेश दिया था कि नमूनों के असीमानंद के वकीलों के मौजूदगी में मलिाया जा। आज दायर याचकि में नआई ने अदालत के बताया कि उच्च न्यायालय के 20 और 21 सतिंबर के दिने पैसले के बाद सीएफ़ सल क कदल असीमानंद के वकीलों के साथ पंचकुला के नआई शविरि पहुंचा, पर सीएफ़ सल केदल ने नमूनों की सील नहीं खोली। याचकि में तर्कदिया गया है कि आपराधिकदंड संहतिा और नआई अधनियिम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जसिकेतहत नमूने मलिाने की प्रक्रिया के दौरान बचाव पक्क के वकील वहां मौजूद रहें और इसलिा यह पैसला कनून के मुताबकि नहीं है।